



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18032023-244468
CG-DL-E-18032023-244468

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 160]
No. 160]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 17 2023/फाल्गुन 26, 1944
NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 17, 2023/PHALGUNA 26, 1944

कारपोरेट कार्य मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 मार्च, 2023

सा. का. नि. 199(अ).— केंद्रीय सरकार, लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 (1959 का 23) की धारा 10ख की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा लागत और संकर्म लेखापाल (निर्वाचन अधिकरण) नियम, 2006 के नियम 3 के अनुसरण में, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i), में संख्यांक सा.का.नि.787(अ), तारीख 15 अक्तूबर, 2015 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार, कारपोरेट कार्य मंत्रालय की अधिसूचना में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

2. उक्त अधिसूचना में, क्रम संख्या (iii) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:

“(iii) श्री शिधिल शशि,
उप महानिदेशक,
कारपोरेट कार्य मंत्रालय,
चौथा तल, एचटी हाउस, केजी मार्ग,
नई दिल्ली-110001

सदस्य”।

3. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 3/2/2019-पीआई]

इन्द्र दीप सिंह धारीवाल, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 787(अ) तारीख 15 अक्टूबर, 2015 के द्वारा प्रकाशित की गई थी और अंतिम बार सा.का.नि. सं.644(अ) तारीख 17 सितंबर, 2021 द्वारा संशोधित की गई।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th March, 2023

G.S.R.199(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 10B of the Cost and Works Accountants Act, 1959 (23 of 1959) and in pursuance of rule 3 of the Cost and Works Accountants (Election Tribunal) Rules, 2006, the Central Government hereby makes the following amendments further to amend the notification of the Government of India, Ministry of Corporate Affairs, *vide* number G.S.R. 787(E), dated the 15th October, 2015 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), namely:-

2. In the said notification, for serial number (iii) and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely: -

“(iii) Shri Sidhil Sasi
Deputy Director General,
Ministry of Corporate Affairs,
4th Floor, HT House, KG Marg,
New Delhi- 110001. Member”.

3. This notification shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 3/2/2019-PI]

INDER DEEP SINGH DHARIWAL, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), dated the 15th October, 2015 *vide* G.S.R. No. 787(E) and was last amended, *vide* G.S.R. No. 644(E), dated the 17th September, 2021.